

फार्म
अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2016

SV-NO-41

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष

1988 (1.35 हेक्टर प्लॉट भूमि 2009)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम वीरेंद्र सिंह मखड़ 2. वर्तमान धारित पद सहा. मानचित्रकार 3. कार्यालय का नाम कार्यालय जे.पी.एस. मखड़
इलाहाबाद 4. वर्तमान वेतन 23580 + 3800/- 5. भविष्य निधि क्रमांक 24559204 6. कर्मचारी संख्या 914800093

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम लुकेन्द्री तह-आमको जिला-मुरादाबाद	1.35 हेक्टर प्लॉट भूमि सातु सातु भिरक	1.35 हेक्टर भूमि सातु प्लॉट सातु सातु 20x45 क्या और मकान के 15 6 आमको परिधान 3	15 लाख 5 लाख	1 एक प्लॉट 20x45 वर्ग पर पत्नी के नाम पर सातु आमा भूजा प्लॉट के स्थिति है	जी.पी.एस. मखड़ एक अन्य भूजा के अंतर्गत गशा था	भिरक-	

हस्ताक्षर वीरेंद्र सिंह मखड़
 नाम वीरेंद्र सिंह मखड़
 पद सहा. मानचित्रकार

- * जहां लागू न हो काट दीजिए
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।